

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ० प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 18 दिसम्बर 2017

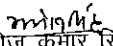
विषय- लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1520/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/28804/2017, दिनांक 05-12-2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति विषयक प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के भूस्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतएव वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-1648/11-सी-FP/UP/Road/28804/2017, दिनांक: दिसम्बर 20, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में उ० प्र० शासन द्वारा वांछित उपरोक्त सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में तत्काल सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, फैजाबाद, आजमगढ़ एवं वाराणसी।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ एवं गाजीपुर।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा), उ० प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।


(आर० अ० जमुआर)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ० प्र०, लखनऊ।